परिपत्र संख्याः डीजी-47/2015

अरविन्द कुमार जैन
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकः लखनऊ : जून 24, 2015

प्रिय महोदय/महोदया,

सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना के निस्तारण में बरती जा रही लापरवाही में सुधार तथा तत्परता के साथ निस्तारण हेतु इस मुख्यालय से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। मुख्यालय स्तर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों की समीक्षा करने पर पाया गया कि इन अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ ही इनके निस्तारण की संख्या भी तुलनात्मक रूप से कम होती जा रही है, जिन अभियोगों का निस्तारण किया भी गया है, उनमें अधिकांश अभियोगों का अनावरण न होने की दशा में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद प्रभारी तथा उनके अधीन कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध द्वारा इन अपराधों के निस्तारण में कोई अभिरूचि नही ली गयी है।

इस सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश दिये जाते हैः-

1. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना का निस्तारण तत्परता के साथ किया जाना आवश्यक है। अधिक समय तक उक्त अभियागों के लम्बित रहने पर उससे सम्बन्धित डाटा विनिष्ट होने की सम्भावना रहती है, अतः जनपदीय प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि विवेचनाओं के निस्तारण में अनावश्यक बिलम्ब न किया जाय।

2. क्राइम ब्रांच के अन्तर्गत गठित साइबर सेल में इन अभियोगों के सफल निस्तारण हेतु यथा सम्भव इस विषय के जानकार तथा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों/कर्मियों को ही नियुक्त किया जाय।

3. इन अपराधों के निस्तारण हेतु पूर्व में परिपत्र संख्याः एडीजी-03/2013 दिनांक 14.03.2013, डीजी परिपत्र संख्या :32/2013 दिनांक 01.07.2013 तथा डीजी परिपत्र संख्या :75/2013 दिनांक 31.12.2013 के अनुसार आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित सभी अपराधों की विवेचना जनपदों मे नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक(अपराध)/पुलिस उपाधीक्षक(अपराध) के अधीन कार्यरत साइबर अपराध इकाई द्वारा कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे, परन्तु सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि इन अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि जिन थानों पर निरीक्षक नियुक्त हैं वे सामान्य प्रकृति के इन अपराधों की विवेचना स्वयं करेगें। जटिल/गम्भीर प्रकरणों को ही जनपदीय क्राइम ब्रांच को संदर्भित किया जाय। इस

सम्बन्ध में जनपद प्रभारी स्वविवेक से निर्णय लेंगे कि कौन सी विवेचना क्राइम ब्रांच को दी जाय। लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे कि जिन थानों में निरीक्षक स्तर के विवेचक उपलब्ध नहीं हैं, उन थानों में आई0टी0 एक्ट की विवेचना विवेचक के अभाव में लम्बित न रहे।

4. इन अपराधों की समीक्षा अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध प्रत्येक पक्ष में तथा जनपदीय प्रभारी प्रत्येक माह में एक बार अवश्य करते हुए लम्बित अभियोगों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

मैं चाहूँगा कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों से भली-भाँति अवगत करायें तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों का अनावरण कराते हुए नामित/प्रकाश में आये अभियुक्तों की साक्ष्यों के आधार पर तत्परता से गिरफ्तारी कराते हुए गुण-दोष के आधार पर अधिकाधिक अभियोगों का निस्तारण कर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक/जनपदीय प्रभारी उ0प्र0।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।